(121)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निग. 3435-पी/2015 प्रकरण क्र. : /पी.बी.आर./2015

रामचन्द्र आत्मज श्री हजारीलाल,
आयु वयस्क, अनुसूचित जाति,
निवासी ग्राम अरन्या, तहसील सारंगपुर,
ज़िला राजगढ़ .... निगरानीकर्ता

(268)

विरूद्ध

01. कमल सिंह आत्मज स्व. श्री गोकल सिंह
आयु वयस्क

02. श्रीमती मानकुंवर बाई पत्नि स्व. श्री गोकल सिंह
जाति राजपूत, निवासी ग्राम पटाडिया डाबी,
तहसील सारंगपुर, ज़िला राजगढ़

03. श्रीमती पार्वती बाई बेवा दरयाव सिंह (मृतक)
द्वारा वारिस–भंवरी बाई पुत्री दरयाब सिंह
जाति राजपूत, कृषक ग्राम पटाडिया डाबी,
निवासी ग्राम अमलावता, तहसील सारंगपुर,
ज़िला राजगढ़ .... रेस्पॉडेंट्स

श्री ... अभि. द्वारा आज दि. 22/9/15 को प्रस्तुत

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता, 1959

22/9/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी आवेदन–पत्र श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 120/ अपील/13–14 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.07.2015, जो अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सारंगपुर, ज़िला राजगढ़ के न्यायालय की प्रथम अपील क्र. 45/अपील/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.09. 2013 (जो कि न्यायालय नायब तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्र. 07/अ–6/2012–13, आदेश दिनांक 26.03.2013 से उद्भुत हुई) से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक 28.08.2015 से निर्धारित समयावधि में यह निगरानी पेश कर रहा है।

भोपाल कैम्प
प्र. प्राप्त
13-10-15

DL (54) रामचंद्र/ कमलसिंह (5)

(67)

रामचन्द्र / कमलसिंह

R-3435/III/15- राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27.6.2017	आवेदकगण की ओर से श्री टी.एस. आहेरवार अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री प्रेम सिंह अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के आवेदन पत्र के संलग्न समझौता पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से वे प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	नि.अं. रामचंद्र; नि.अं. मानकुंवर; (हस्ताक्षर)